न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 33/2012

अनवान

श्री रूपसिंह रावत पुत्र स्व0 श्री रामा जी रावत निवासी ग्राम माखुपुरा तहसील–अजमेर, जिला– अजमेर। .....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर ..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

दिनांक :– 26.04.2017

आदेश

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर की वादग्रस्त आराजी ख0सं0 741 रकबा 0.4400 गैर मु0 रास्ता 743 रकबा 0.1500 चाही–2 व 720 रकबा 8.9600 गै0मु0 पहाड पर तारबन्दी एवं पट्टी से अनाधिकृत अतिक्रमण किया जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 22.7.1996 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के राजस्व इजराय नं0 2/77 रामा व अन्य बनाम हिमता में दिनांक 9.2.77 के समझौता पत्र अनुसार अपीलान्ट खाता नम्बर 711 के खसरा नं0 496, 525, 527, 530, 531 के कुल रकबा 15–06–00 का राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संम्वत 2041 के मुताबिक खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नं0 741, 743, 720 गैर मु0रास्ता, गैर मुमकिन पहाड, व चाही–2 सिवाय चक भूमि पर पट्टिया लगाकर एवं तारबन्दी कर अतिक्रमण नहीं किया गया है। तहसीलदार अजमेर द्वारा अपीलान्ट के प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज का भली भांति अवलोकन किये व रेकार्ड से मिलान किये बिना आवेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना कायम करने का निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 13.08.2012 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित नहीं आयें। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हें सुना गया।

अपील के मुख्य तथ्य यह है कि ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर की वादग्रस्त आराजी ख0सं0 741 रकबा 0.4400 गैर मु0 रास्ता 743 रकबा 0.1500 चाही–2 व 720 रकबा 8.9600 गै0मु0 पहाड पर तारबन्दी एवं पट्टी से

26/04/17
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अनाधिकृत अतिक्रमण किया जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 22.7.1996 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के राजस्व इजराय नं0 2/77 रामा व अन्य बनाम हिमता में दिनांक 9.2.77 के समझौता पत्र अनुसार अपीलान्ट खाता नम्बर 711 के खसरा नं0 496, 525, 527, 530, 531 कुल रकबा 15–06–00 का राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संम्वत 2041 के मुताबिक खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नं0 741, 743, 720 गैर मु0रास्ता,गैर मुमकिन पहाड, व चाही–2 सिवाय चक भूमि पर पट्टिया लगाकर एवं तारबन्दी कर अतिक्रमण नहीं किया गया है। तहसीलदार अजमेर द्वारा अपीलान्ट के प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज का भली भांति अवलोकन किये एवं रेकार्ड से मिलान किये बिना आवेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना कायम करने का निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा मनमाने तरीके से एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्राकृतिक न्याय, नियम, कानून, के विपरीत विधि विरूद्ध रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08. 2012 निरस्त किया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण तारबन्दी एवं पट्टिया लगाकर किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील कथनों के सर्मथन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई कानूनी भूल अथवा विधि के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख, प्रकट नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08. 2012 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/04/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner